छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च-अप्रैल, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2012 (फाल्गुन 26, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2011-2012 **पटल पर रखेंगे.**

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)अधिनियम,1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 **पटल पर रखेंगे.**

(3) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 19-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 **पटल पर रखेंगे.**

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, सरगुजा जिले के वन परिक्षेत्र धमनी में हाथियों द्वारा उत्पात मचाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जगदलपुर एवं सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा क्रेशर प्लांटों व वाहनों को आग लगाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24,मरवाही से निर्वाचित सदस्य, श्री अजीत जोगी को मार्च-अप्रैल,2012 सत्र में दिनांक 16 मार्च,2012 से सात दिनों तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25, कोटा से निर्वाचित सदस्य, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी को मार्च-अप्रैल,2012 सत्र में दिनांक 16 मार्च,2012 से सात दिनों तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

क्रमश: 2

5. वर्ष 2011-2012 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 45, 47, 48, 55, 56, 64, 65, 69, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **दो सौ चौरानबे करोड़,**

3 घंटे **अड़तीस लाख, छियालिस हजार, दो सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक,2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

7. अशासकीय संकल्प

2 घंटे (1) श्री महंत रामसुन्दर दास,सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि "प्रदेश के धान खरीदी केन्द्रों में आहाता निर्माण एवं सीमेंट कांक्रीटयुक्त चबूतरा निर्माण कराया जाय."

30 मिनट (2) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "बिलासपुर-रीवा-बिलासपुर पैसेंजर ट्रेन को बिलासपुर के स्थान पर रायपुर-रीवा-रायपुर एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाय."

रायपुर
दिनांक 15 मार्च,2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.